I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB PANCHKULA **Year (वर्ष):** 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0009 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 29/09/2020 18:08 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 08/01/2018 **Date To (दिनांक तक):** 18/10/2018

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/09/2020 **Time (समय):** 17:42 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 29/09/2020 17:42 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 2 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): PANCHKULA,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** DSP SHARIF SINGH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 03/04/1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB PKL, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB PKL, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन निदेशक हरियाणा उर्दू अकादमी		Father's Name: श्री रामफल सिंह	1. 2127,नजदीक बस स्टैण्ड,गाँव व तहसील मतलौडा, MATLAUDA,PANIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा मे, प्रबंधक थाना, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला मण्डल, पंचकूला श्रीमान जी, निवेदन है कि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 27/7/2019-3 चौकसी-1 दिनांक -30.10.19 की अनुपालना में जांच क्रमांक 09 दिनांक 06.11.2019, पंचकूला दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 17730/आई-1/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 06.11.2019 अनुसार पडताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप था, कि डा0 नरेन्द्र कुमार तत्कालीन, निदेशक, हरियाणा,उर्दू अकादमी पंचकूला द्वारा अपने पद व शक्तियों का दुरूप्योग करते हुये हरियाणा, उर्दू अकादमी पंचकूला के अन्य अधिकारी/कर्मचारियों से मिलीभगत करके अकादमी को वित्तीय हानि पहुँचाना, जिसमें महानिदेशक, सूचना जन सम्पर्क एव भाषा विभाग हरियाणा, के लेखा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.05.2019 को अकादमी के वर्ष 2018 के किये गये लेखा ऑडिट में लगभग 15,07,872/रू की अनियमिततायें पाया जाना तथा मैडीकल बिल, एक गाडी का वर्ष में दो बार इन्शोरैस करवाकर, अकादमी की एफ.डी.आर. को समय से पहले बन्द करवाकर, अकादमी को वित्तीय हानि पहुँचाई । आरोप की पडताल निरीक्षक सुरेश कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला द्वारा की गई थी। पडताल पर पाया गया कि डा0 नरेन्द्र कुमार द्वारा अपने स्वयं के मैडिकल बिल चैक नं0 157441 दिनांक 06.07.2018 अनुसार कुल 39,155/रू की राशी अपने निजी खाता में प्राप्त की जानी पाई गई जिसके द्वारा इस राशी को प्राप्त करने के लिये सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये जाने बारे कोई दस्तावेज पेश नही किया गया वाउचर न. 8, दिनांक 02.02.2018, रु0 25,417/-खाने पीने एवं किताबों आदि पर किया गया खर्च। यह राशि चैक न. 783466 दिनांक 02.02.2018 अनुसार शहजाद अली सेल्समैन-कम कलर्क द्वारा प्राप्त की जानी पाई है जिस पर ऑडिट पार्टी द्वारा टिप्पणी की गई थी कि यह खर्च अनियमित्ता अनुसार किया गया था, जो स्वीकृत नही था। वाउचर न. 22, दिनांक 16.07.2018 रु0 14,009/- लेखको के नाम पर खाने पीने आदि पर किया गया खर्च, यह राशि श्री प्रमोद कुमार, चालक द्वारा चैक न. 157458 दिनांक 16.07.2018 अनुसार प्राप्त की जानी पाई गई। जिस पर ऑडिट पार्टी द्वारा टिप्पणी की गई थी कि यह खर्च अनियमित्ता अनुसार किया गया था, जो स्वीकृत नही था। वाउचर न. 25, दिनांक 18.07.2018 अनुसार राशी मुबलिग 8,947/रू लेखको के नाम पर खाने-पीने आदि पर किया गया खर्च दिखाया गया है जो यह राशी चैक न. 157459 दिनांक 18.07.2018 अनुसार ड्रा

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

की गई है जो यह चैक श्री कपूर चन्द, सेवादार के नाम पर जारी होना पाया गया। जिसने कथनानुसार यह चैक उसे प्राप्त नहीं हुआ तथा उसने कभी इस चैक की राशि बैंक से ड्रा नहीं करवाई तथा उसके द्वारा इन बिलों अनुसार कोई वस्तु खरीद नहीं की गई थी। यह बिल डॉ. नरेन्द्र कुमार, निदेशक स्वयं लेकर आए थे। उनके आदेश पर उसने इन बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस राशि का चैक निदेशक महोदय ने अपने पास रख लिया था। जिस पर ऑडिट पार्टी द्वारा टिप्पणी की गई थी कि यह खर्च अनियमित्ता अनुसार किया गया था, जो स्वीकृत नही था। वाउचर न. 26, दिनांक 18.07.2018, रु0 1,605/- लेखको के नाम पर खाने-पीने आदि पर किया गया खर्च दिखाया गया है। यह राशी चालक प्रमोद कुमार द्वारा चैक न. 157460 दिनांक 18.07.2018 अनुसार बैक से निकलवा कर डॉ. नरेन्द्र कुमार, निदेशक को दी जानी पाई गई। जिस पर ऑडिट पार्टी द्वारा टिप्पणी की गई थी कि यह खर्च अनियमित्ता अनुसार किया गया था, जो स्वीकृत नही था। वाउचर न. 27, दिनांक 18.07.2018, रु0 27,436/- लेखको के नाम पर खाने पीने इत्यादि पर किया गया खर्च दिखाया गया है। यह राशी चैक न. 157461 दिनांक 18.07.2018 अनुसार श्री प्रमोद कुमार चालक द्वारा ड्रा करवाकर डॉ. नरेन्द्र कुमार, निदेशक को दी जानी पाई गई जिस पर ऑडिट पार्टी द्वारा टिप्पणी की गई थी कि यह खर्च अनियमित्ता अनुसार किया गया था, जो स्वीकृत नही था। वाउचर न. 28, दिनांक 18.07.2018, रु0 43,126/- लेखको के नाम पर खाने पीने इत्यादि पर किया गया खर्च दिखाया गया है यह राशी चैक न. 157462 दिनांक 18.07.2018 डॉ. नरेन्द्र कुमार, निदेशक द्वारा अपने निजी खाता में प्राप्त की जानी पाई गई जिस पर ऑडिट पार्टी द्वारा टिप्पणी की गई थी कि यह खर्च अनियमित्ता अनुसार किया गया था जो स्वीकृत नही था। जिस बारे डा0 नरेन्द्र कुमार दौराने जाँच कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया। वाउचर न. 29, दिनांक 19.07.2018, राशी 47,590/रू लेखको के नाम पर खाने पीने, शील्ड इत्यादि पर किया गया खर्च दिखाया गया है यह राशी चैक न. 157463 दिनांक 19.07.2018 अनुसार श्री प्रमोद कुमार चालक द्वारा बैंक से ड्रा करवाकर डॉ. नरेन्द्र कुमार, निदेशक को दी जानी पाई गई जिस पर ऑडिट पार्टी द्वारा टिप्पणी की गई थी कि यह खर्च अनियमित्ता अनुसार किया गया था, जो स्वीकृत नही था। वाउचर न. 47, दिनांक 26.07.2018, राशी मुबलिग 40,370/- लेखको के नाम पर खाने पीने, शील्ड इत्यादि पर किया गया खर्च दिखाया गया है यह राशी चैक न. 157470 दिनांक 26.07.2018 अनुसार चालक प्रमोद कुमार द्वारा बैंक से ड्रा करवाकर निदेशक को दी जानी पाई गई । जिस पर ऑडिट पार्टी द्वारा टिप्पणी की गई थी कि यह खर्च अनियमित्ता अनुसार किया गया था, जो स्वीकृत नही था। वाउचर न. 8, दिनांक 07.09.2018, राशी मुबलिग 2,010/-रू का खर्च लेखकों के खानपान पर किया जाना पाया गया। जिसका भुगतान चैक न. 589546 दिनांक 07.09.2018 अनुसार चालक प्रमोद कुमार को होना पाया गया । चालक प्रमोद के कथनानुसार उसने यह राशी बैंक से ड्रा करवाकर डा. नरेन्द्र कुमार, निदेशक को दे दी थी। ऑडिट पार्टी ने एतराज था कि इस प्रकार के अतिथि सत्कार के खर्च की अनुमति नही थी। डा. नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन निदेशक ने अपने खुद के यात्रा भत्ता बिल मुबलिग राशि 1,02,492/रू चैक नं0 589596 दिनांक 18.10.2018 अनुसार अपने निजि खाता में प्राप्त किये जाने पाये गये। जाँच के दौरान अकादमी से प्राप्त किये गये रिकार्ड में केवल इस राशि का वाऊचर नं0 3 दिनांक 18.10.2018 मिला, इस राशि की सक्षम अधिकारी से मंजूरी का कोई प्रमाण नही मिल सका तथा न ही प्रतिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया गया। जो यह राशी डा. नरेन्द्र कुमार द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की मंजूरी के अपने निजी खाता में बरामद की जानी पाई गई। अकादमी की सरकारी गाडी HR03V 3609 का वर्ष 2018 में दो बार बीमा किया जाना पाया गया। वाऊचर नं0 11 दिनांक 03.05.2018 अनुसार नैशनल इन्शोरैंस कम्पनी पोलिसी नं0 420205311810000064 दिनांक 03.04.2018 अनुसार सरकारी गाडी का अवधि दिनांक 03.04.2018 से मध्य रात्रि दिनांक 02.04.2019 तक का बीमा मुबलिग राशी 16,219/रू0 में कार्यालय आदेश दिनांक 03.05.2018 अनुसार जिस पर तत्कालीन निदेशक डा. नरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर मौजुद है। यह राशी चालक प्रमोद कुमार को बरामद की जानी पाई गई है। परन्तु वाऊचर नं0 48 दिनांक 18.10.2018 पोलिसी नं0 420205311810000064 जिस पर लेखाकार कर्ण सिंह के हस्ताक्षर है व कार्यालय आदेश दिनांक 18.10.2018 जिस पर भी तत्कालीन निदेशक डा. नरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर मौजुद है, के अनुसार राशि मुबलिग 16219/रू दौबारा निकलवाई गई है। जो उक्त राशि कर्ण सिंह लेखाकार द्वारा निदेशक को दी जानी पाई गई। इस प्रकार डा0 श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन निदेशक, हरियाणा उर्दू अकादमी पुत्र स्व0 श्री रामफल सिंह वासी मकान नं0 2127, नजदीक बस स्टैण्ड, गाँव व तहसील मतलौडा जिला पानीपत द्वारा अकादमी के स्पेशल ऑडिट पैरा नं0 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,20,32 व 33 अनुसार उनके विरूद्ध पाई गई वित्तिय अनियमित्तायो के आधार पर उनसे व्यक्तिगत रूप से कुल 1,21,205/रू की वसूली करने तथा उनके विरूद्ध जगत ज्वैलर्स, 102 द्वारिका कलां, चांदनी चैंक दिल्ली के बिल नं0 244 दिनांक 08.01.2018 राशी मुबलिग 31,360/रू, जो उक्त फर्म के रिकार्ड अनुसार रद्द है। जिसके अनुसार उक्त दुकान से कोई सामान खरीद नही किया जाना पाया गया तथा इस बिल की एवज मे निदेशक डा नरेन्द्र कुमार ने 31,360/रू अकादमी से ड्रा करके स्वयं प्राप्त करके व पैरा नं0 5 अनुसार अपने खुद के मैडिकल बिल मुबलिग राशी 39,155/रू को बिना सक्षम अधिकारी की मंजूरी के चैक नं0 157441 दिनांक 06.07.2018 के अनुसार व उर्दू अकादमी की सरकारी गाडी HR03V 3609 का वर्ष 2018 में दो बार बीमा करवाने के नाम पर 16,219 रू तथा अपने खुद के यात्रा भत्ता बिल राशी मुबलिग 1,02,492/रू को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत हुये बिना ही अपने निजी खाता में प्राप्त करके सरकारी धन मुबलिक 1,89,226/-रू का गबन करके अपराध जेर धारा 409, 420,467,468,471,120 बी. भा.द.सं. व 13(1) (D) R/W 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 का होना पाया जाने पर उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने का सुझाव देकर अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा की टिप्पणी सहित यादि क्रमांक 5387/रा0चै0ब्यूरो (ह0) दिनांक 12.06.2020 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ़ को भेजी गई थी। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 27/7/2019-3 चौकसी-1 दिनांक 20.08.2020 अनुसार जांच में दिये गये सुझाव अनुसार उपरोक्त के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के आदेश महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा के पृष्ठाकन 9003/आई-1/रा0चौ0ब्यू0(ह0), पंचकूला दिनांक 25.08.2020 के द्वारा प्राप्त हुए है, अतः श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन निदेशक हरियाणा उर्दू अकादमी पंचकूला के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिये लेख प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रट व उच्च अधिकारीयो की सेवा में भिजवाई जाए नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान के लिए श्री औम प्रकाश, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला के हवाले की जावे। अज – PS/SVB/PKL. Sd Sharif Singh उप पुलिस अधीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला मण्डल पंचकूला दिनांक 29.09.2020 at 5.30 pm अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 09 दिनांक 29.09.2020 धारा 409, 420,467,468,471,120 बी. भा.द.सं. व 13(1) (D) R/W 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 थाना राज्य चौक्सी ब्यूरो पंचकुला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से इलाका मैजीस्ट्रेट साहब पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । अभियोग की पुलिस फाईल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतू श्री औम प्रकाश ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यू0 पंचकुला के हवाले की गई। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** O P ARORA **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manbir Singh

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	1970				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)